न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा तहसील फुलियाकलां
पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2019

उनवान

1 छगना पिता रामकिशन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

.... वादी

बनाम

1 रामरतन पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2 कैलाश पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
3 मनीराम पिता लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4 मु.नानी बैवा लादु धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
5 शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
6 कार्तिकेय पिता रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
7 नेराज पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
8 मु.पुजा पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
9 ममता पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
10 रचना पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
11 विजया पुत्री रामप्रसाद धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शान्ति बैवा रामप्रसाद धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
12 घनश्याम पुत्र जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
13 मु.घीसी बैवा जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
14 शिवराज पिता जगदीश धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
15 मु.धापू पत्नि गोवर्धन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
16 बद्रीलाल पिता गोवर्धन धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
17 मिश्रीलाल पिता हजारी धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
18 शान्ति लाल पिता हजारी धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
19 गोपाल पिता जगरूप धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
20 रमेशचन्द्र पिता जगरूप धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
21 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भी0वा0

.... प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.02.22 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री शिवराज कुमावत......... वकील वादी
श्री अविनाश जीनगर........ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 20

–:: निर्णय ::–

दिनांक 4-10-2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम वांसेडा हल्का पटवारी क्षेत्र वांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 271 किता 4 कुल रकवा 0.73 हैक्टे. खतौनी संख्या 272 किता 6 कुल रकवा 0.57 हैक्टे., खतौनी संख्या 273 किता 4 कुल रकवा 3.00 हैक्टे. भूमि जो पुश्तैनी होकर वर्तमान में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 से 20 के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है। वादी के दादा के दो पुत्र वादी के पिता श्री रामकिशन एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति श्री लादुजी उत्पन्न हुए, परन्तु दुर्भाग्यवश वादी के दादा के पूर्व वादी के पिता श्री रामकिशन का देहान्त हो गया उसके पश्चात दादाजी का भी देहान्त हो गया। राजस्व अभिलखों में विरासत प्रक्रिया के दौरान भूलवश वादी के पिता के स्थान पर दादाजी का नाम रेकार्ड में दोपयुक्त दर्ज कर दिया गया। यह त्रूटीपूर्ण ईन्द्राज आदिनांक तक अनवरत रूप से चला आ रहा है।

अतः वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड सा.देह को दुरूस्त किये जाने की डिकी सादर फरमाई जावें।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 01.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलव किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 18.02.2021 पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र वादी स्वीकार किये जाने में अपनी ओर से कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए प्रमाण में ईकबालिया जवावदावा प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। शेष विपक्षी कम 05 से 20 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री अविनाश जीनगर ने भी उपस्थित होकर मामलें में कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त किया, जिसका अंकन उनके द्वारा आदेशिका पर किया गया। वादी ने मार्फत अधिवक्ता शहादत्त में वादी का शपथपत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुतशुदा शपथपत्र पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–1 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालु व साबिक जमाबन्दी सवंत् 2076–79 पर क्रमशः प्रदर्श–1 से प्रदर्श–11ए का अंकन किए गये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम वांसेडा दिनांक 04.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। नियत शिविर पर उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने [illegible] कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि वादी के [illegible] का [illegible] छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड [illegible] अभिलेखों में दुरूस्त किया जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण/अवलोकन उपरान्त वादी के पिता का नाम छगना पिता नाराय[illegible] धाकड के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2024.02.22 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भीब.)

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसेडा हल्का पटवारी क्षेत्र बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 271 किता 4 कुल रकबा 0.73 हैक्टे. खतौनी संख्या 272 किता 6 कुल रकबा 0.57 हैक्टे., खतौनी संख्या 273 किता 4 कुल रकबा 3.00 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम छगना पिता नारायण धाकड सा.देह के स्थान पर छगना पिता रामकिशन धाकड सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.22 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested